

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-2

(सम्बन्धित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०.....

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	एन0एच0 डिविजन-1 पी0डब्लू0डी0, वाराणसी द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे० संरक्षित वनभूमि का प्रत्यावर्तन
I	राज्य/संघ शासति क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
II	जिला	जौनपुर
III	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	65.612 हे०
V	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
VI	हरियाली का घनत्व	0.1
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) । सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल० 4 मीटर भी संलग्न किया जाए।	संलग्न है।
VIII	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूमिक्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	संरक्षित भूमि पर
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव-मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य	नहीं।

	जीव प्रतिपालक की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाए)	
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है।(यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें)	नहीं।
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/विरासत स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। (यदि हों, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा-सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें)	नहीं।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हाँ, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहें हैं	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अभिक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	प्रस्ताव में संलग्न है।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं के दर्शाने वाला मैप	लागू नहीं है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय, अनुसूची, लागत ढांचा आदि	प्रस्ताव में संलग्न है।
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	सारांश संलग्न है।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक	संलग्न है।

	द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विशेषतः उपर्युक्त कालम -7 (XI, XII), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4021 वर्ग किमी0 (402100.00 हे०)।
II	जिले का वन क्षेत्र	255.09 हे०। (संरक्षित वन)
III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	56 मामले/160.3937 हे०।
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	-
(अ)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर	62.154 हे०, तथा 13046 अतिरिक्त पौध
(ब)	वनेत्तर भूमि पर	-
V	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(अ)	वन भूमि पर	59.0809 हे०, तथा 11322 अतिरिक्त पौध
(ब)	वनेत्तर भूमि पर	-
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशिष्ट संस्तुति।	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक - 01/11/21

स्थान - जौनपुर

हस्ताक्षर-

नाम व पद - प्रवीन खरे, प्रभागीय निदेशक

सरकारी मुहर-

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर